भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2628
दिनांक 16 दिसम्बर 2025 / 25 अग्रहारण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

महाराष्ट्र में बाढ़ राहत वितरण

2628. श्री संजय हरिभाऊ जाधवः

श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों और विशेषकर धाराशिव में बाढ़ राहत वितरण के बाद राहत कार्य की पारदर्शिता, प्रभावशीलता और प्रभावित नागरिकों की संतुष्टि का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण या जन सुनवाई आयोजित की गई थी;

(ख) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र के प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास से संबंधित नागरिक शिकायतों को दर्ज करने और उनका समाधान करने के लिए कोई डिजिटल पोर्टल, हेल्पलाइन या स्थानीय समिति स्थापित की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन शिकायतों और प्राप्त सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन या एसडीआरएफ की नीतियों में कोई संशोधन या सुधार किया गया है;

(ङ) क्या सरकार भविष्य में आपदा राहत कार्य की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसान प्रतिनिधियों और सिविल सोसायटी के सदस्यों के साथ मिलकर नियमित समीक्षा बैठक करने की योजना बना रही है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (च): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाते हुए अपेक्षित रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय

सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में है, न कि नुकसान/दावा की क्षतिपूर्ति के लिए।

महाराष्ट्र राज्य सरकार को एसडीआरएफ के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए ₹4176.80 करोड़ (₹3132.80 करोड़ केंद्रीय अंश + ₹1044.00 करोड़ राज्य अंश) की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से राज्य को केंद्रीय अंश के रूप में ₹1566.40 करोड़ प्रत्येक की पहली और दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा अपने एसडीआरएफ खाते में 1 अप्रैल, 2025 को आरंभिक शेष के रूप में ₹1613.52 करोड़ की राशि उपलब्ध बताई गई है।

वर्ष 2025 के दौरान आई बाढ़ के मद्देनजर, राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का मौके पर आकलन करने हेतु 16.10.2025 को एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल का गठन किया गया है। अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल ने 03.11.2025 से 05.11.2025 तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल की रिपोर्ट और राज्य सरकार के ज्ञापन के आधार पर, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, NDRF से अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है।

प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए उचित तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने के लिए देश में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर अच्छी तरह से स्थापित संस्थागत तंत्र हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को मुख्यधारा में लाने का प्रावधान करता है। माननीय प्रधानमंत्री ने जून 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार देश की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) का शुभारंभ किया। सभी हितधारकों के परामर्श से वर्ष 2019 में इस योजना को संशोधित किया गया। संशोधित एनडीएमपी केंद्र और राज्य स्तर के सभी क्षेत्रों, मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ जिला स्तर के पदाधिकारियों को एक साथ लाता है और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में उनकी संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) स्थानीय प्राधिकारियों, जिला प्राधिकारियों के साथ परामर्श करने तथा राष्ट्रीय योजना (एनडीएमपी) और राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य की आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) स्थानीय प्राधिकारियों के साथ परामर्श के बाद, तथा राष्ट्रीय योजना (एनडीएमपी) और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए, जिला योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

****